राजस्थान सरकार
राजस्थान राज–पत्र विशेषांक
सधिकार प्रकाशित

श्रावण 25, गुरूवार शाके 1934– अगस्त 16, 2012

भाग 4 (ग)

उप– खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य– प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप– विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2012

जी.एस.आर.54 :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012

भाग–1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अनुसूची–I में सम्मिलित पदों के संबंध में राजस्थान सरकार और अनुसूची–II में सम्मिलित पदों के संबंध में निदेशक अभिप्रेत है ;

(ख) ''समिति'' से नियम 29 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ग) ''आयोग'' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) ''विभाग'' से पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है ;

(ड.) ''निदेशक'' से निदेशक, पेट्रोलियम, राजस्थान अभिप्रेत है ;

(च) ''सीधी भर्ती'' से इन नियमों के भाग–4 में यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

(छ) ''सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित किये गये नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(झ) ''अनुसूची'' से इन नियमों संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ञ) ''सेवा'' से राजस्थान पेट्रोलियम राज्य सेवा या, यथास्थिति, राजस्थान पेट्रोलियम अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है ;

(ट) ''सेवा'' या ''अनुभव'' जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो ;

टिप्पण:– सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति भी, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन ''ड्यूटी'' के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

(ठ) ''अधिष्ठायी नियुक्ति'' से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता है ;

टिप्पण:– इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अन्तर्गत, अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी भर्ती आयेगी।

(ड) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ; और

(ढ) ''वर्ष'' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग–2

संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.– (1) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पद (पदों) का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची–I और अनुसूची–II के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु सरकार ,–

(क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय–समय पर सृजित कर सकेगी और किसी भी व्यक्ति को प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी भी पद को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी ; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय–समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी।

5. सेवा का गठन.– सेवा निम्नलिखित से गठित होगी :–

(क) इन नियमों के प्रांरभ की तारीख को अनुसूची–I और, यथास्थिति, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पद (पदों) को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ;

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ; और

(ग) इन नियमों के नियम 6 में अधिकथित भर्ती की किसी भी रीति द्वारा भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

भाग–3

भर्ती

6. भर्ती की रीतियां.– (1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में के पद (पदों) पर भर्ती अनुसूची–I और, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तंभ सं. 3 और 4 में यथाउपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी् :–

(क) इन नियमों के भाग 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा :

परन्तु नियम 5 के अन्तर्गत नहीं आने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जो अनुसूची–I और अनुसूची–II में प्रगणित पदों पर तदर्थ या स्थानापन्न या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को ऐसे पदों को कम से कम एक वर्ष तक लगातार धारण किया हो, धारित पदों पर उनकी उपयुक्तता विनिर्णीत करने के लिए नियम 29 में निर्दिष्ट समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा बशर्ते कि वे या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए इन नियमों में विहित अर्हताएं रखते हों जिनके आधार पर ऐसे व्यक्तियों का तदर्थ /स्थानापन्न/अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के लिए चयन किया गया था। यह उपबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा,–

(i) कि तदर्थ/स्थानापन्न/अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस पद, जिस पर वह प्रारंभ में नियुक्त किया गया था, से उच्चतर पद के लिए स्क्रीन किये जाने का हकदार नहीं होगा यदि

निम्नतर पद पर उससे वरिष्ठ किसी व्यक्ति को, जो उस पद के लिए विहित अर्हताएं पूरी करता था, या तो ऐसी तदर्थ नियुक्ति नहीं दी गयी थी या वह इन नियमों के अधीन स्क्रीन किये जाने का हकदार नहीं है। इस प्रयोजन के लिए वरिष्ठता पद पर निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ii) इन नियमों के अधीन नियुक्त समिति, या तो भर्ती की साधारण रीति के अपवादस्वरूप या सेवा के प्रारम्भिक गठन पर स्क्रीनिंग द्वारा उपयुक्तता विनिर्णीत करने के लिए अनुग्रहपूर्वक सिफारिश कर सकेगी, यदि किसी कर्मचारी, जिसने उस पद पर, जिसके लिए उसे स्क्रीन किया जाना है, तीन वर्ष से अधिक की सेवा की है, को उपयुक्त विनिर्णीत नहीं किया जाये और यदि तत्पश्चात् उसे किसी निम्नतर पद पर नियुक्त होने का अधिकार न हो, या ऐसे निम्नतर पद पर आमेलन द्वारा उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव किया जा रहा हो और ऐसा होने पर ऐसा कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1969 के उपबंधों के अधीन अधिशेष कर्मचारी माना जायेगा और ऐसे कर्मचारी को, समिति की सिफारिश पर, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो उसके द्वारा अधिकथित की जाये, निम्नतर पद पर आमेलित किया जा सकेगा।

टिप्पण:– उपर्युक्त परन्तुक के अधीन के स्क्रीनिंग का उपबन्ध प्रथम उपाय के रूप में आशयित है तथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के कोटा का विचार किये बिना स्क्रीन किये गये व्यक्तियों के लिए अपेक्षित रिक्तियां निःशेष हो जाने के पश्चात् ही सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा लागू किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय अनुसूची–I और, यथास्थिति, अनुसूची–II में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय–समय पर स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से, जहां लागू हो, अधिक नहीं हों :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का आयोग से परामर्श करके, जहाँ आवश्यक हो, यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष–विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आपात के दौरान थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा–मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.– (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी,शैक्षिक अर्हताओं और सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा–शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन और कार्मिक विभाग तथा आयोग, यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है, की सहमति के अध्यधीन रहते हुए–

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ग्रेड वेतन सं. 10 (2800/– रू.) तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्व कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाल ग्रेड वेतन सं. 11 (3200/–रू.) तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्व कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ग्रेड वेतन सं. 10 (2800/–रू.) तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्व कार्यवाहियों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

भर सकेगा :

परन्तु–

(क) सशस्त्र बलों के किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी आश्रित की ऊपरी आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा यदि वह इन नियमों के प्रारम्भ के एक वर्ष के भीतर–भीतर नियुक्ति के लिए आवेदन कर देता है।

(ख) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(ग) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी के कार्मिक, जिसकी मुत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या बच्चे तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उनका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनीं

बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं अपने लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित इस प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा–मिलिटरी बलों के लिए पैरा–मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता शिथिल की जायेगी, तथा आयु सीमा पूरी करता है और सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा।

(6) यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा

(7) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी, अर्थात्:–

(i) सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;

(ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी ;

(iii) युद्व में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान ; और

(iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका सम्बन्ध (प्रमाणपत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए ,–

(क) ''सशस्त्र बल'' से संघ की सेना, नौ सेना और वायु सेना अभिप्रेत है ;

(ख) ''आश्रित'' से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा–मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

टिप्पण:–दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

(ग) ''पैरा–मिलिटरी बल'' से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा–मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये।

(घ) ''स्थायी रूप से अशक्त'' व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम सं. 1) में यथा उपबंधित ''निःशक्त व्यक्ति'' पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती या पदोन्नति के समय, प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा।

(2)पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता–एवं–योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3)इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की

तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा और पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4)नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्–पृथक् रोस्टरों के अनुसार ही की जायेंगी। किसी वर्ष–विशेष में अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा और साथ ही सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी । तथापि, आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिसे (जिन्हें) अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का/के अभ्यर्थी उपलब्ध हो/हों, वह पद रिक्त करना होगा :

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रनीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती है।

9. पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष–विशेष में पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा।

10. महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण .– सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विछिन्न–विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त विधवाओं और विछिन्न–विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, विधवाओं और विछिन्न–विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ पुरूष अभ्यार्थियों द्वारा भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप में समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

11. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण .– उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सीधी भर्ती के लिए चिह्नित कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा

और इसका समायोजन उस संबंधित प्रवर्ग में किया जायेगा, जिससे खिलाड़ी सम्बद्ध है।

स्पष्टीकरण:–''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यताप्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में संबंधित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फेडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरण सहित व्यक्तिशः या टीम सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

सेवा का वर्ग	**विवरण**
अधीनस्थ सेवा	एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खेलों, विश्वस्तरीय विद्यालय खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

12. राष्ट्रीयता.– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह ,–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ड.) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा, संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ड.) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

13. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें .– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु–सीमा और फीस या अन्य रियायतों सम्बन्धी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, विनियमित किये जायेंगे।

14. रिक्तियों का अवधारण .– (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद अनुसूची I या, यथास्थिति, अनुसूची II में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उसी रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद अनुसूची I या, यथास्थिति अनुसूची II में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उप–नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटा में अग्रता देते हुए निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा यदि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

15. आयु.– सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी,–

(क) निदेशक के पद के लिए 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 50 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए ;

(ख) अन्य राज्य सेवा के पद (पदों) के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए ; और

(ग) अधीनस्थ सेवा के पद (पदों) के लिए, आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु –

(i) उपरिवर्णित आयु सीमा को :–

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक ;

शिथिल किया जायेगा।

(ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्वि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iii) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्त कि वह दोषसिद्वि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, एन.सी.सी. में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल

किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा ;

(v) राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(vi) विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ;

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा ;

(vii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे ;

(viii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों, जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था, के मामले में 50 वर्ष होगी ;

(ix) निर्मुक्त आपात् कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ;

(x) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे

ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

16. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं और अनुभव.– अनुसूची–I और , यथास्थिति, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पदों के लिए सीधी भर्ती का अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा :–

(i) अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ सं. 5 में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव ; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा–उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे ,–

(क) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;

(ख) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ;

(ग) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ;

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

17. चरित्र.– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे

हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिएं जो उसके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से समबद्व न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण :– (1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्वि मात्र में, सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्वि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलन से नहीं है, जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्वि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्व कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्वदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्वर्ती देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसे गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्वदोष ठहराया गया है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्व कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

18. शारीरिक उपयुक्तता.– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यक्षमता में कोई कमी न आयी हो।

19. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.– ऐसा अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या ऐसे बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है या आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त ,–

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

20. संयाचना.– इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

भाग–4

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

21. आवेदन आमंत्रित करना.– सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और उस पद के अपने चालू वेतन बैण्ड में ग्रेड वेतन जैसा कि विज्ञापन में अन्यत्र उल्लिखित है, नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

22. सीधी भर्ती की आवृत्ति.– अनुसूची–I और अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती तब तक वर्ष में कम से कम एक बार की जायेगी जब तक कि सरकार यह विनिश्चय नहीं कर ले कि इनमें से किसी पद के लिए किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जायेगी।

23. आवेदन का प्ररूप.– आवेदन आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और वह आयोग के सचिव से या, यथास्थिति,

नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर नियत करे, प्राप्त किया जा सकेगा।

24. आवेदन फीस.– सेवा में के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी फीस का, जो वह नियत करें, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा।

25. आवेदनों की संवीक्षा.– आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, साक्षात्कार हेतु अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

26. सिफारिशें.– (1) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, एक सूची तैयार करेगा और उसे योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(2) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग द्वारा, अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता क्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर–भीतर सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, को की जा सकेगी।

27. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– (1) कोई पुरूष या महिला अभ्यर्थी, जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान न कर दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढोतरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा :

परन्तु यह भी कि इस उप–नियम के उपबंध, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह भी किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

28. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.– नियम 8,9,10 और 11 के उपबंधों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों का, नियम 26 के अधीन आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा तैयार की गयी सूची में योग्यता क्रम में, चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग–5

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

29. समिति.– समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पद (पदों) के लिए –

(i) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य	अध्यक्ष
(ii) शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग	सदस्य
(iii) शासन सचिव, कार्मिक विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग से नीचे की रैंक का न हो	सदस्य
(iv) निदेशक, पेट्रोलियम	सदस्य सचिव

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पद (पदों) के लिए –

(i) निदेशक, पेट्रोलियम	अध्यक्ष
(ii) शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
(iii) शासन उप सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग	सदस्य सचिव

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो तत्समय उस पद का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य सचिव होगा।

30. पदोन्नति के लिये कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.– (1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी नियम 14 के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप–नियम (6)

के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही और पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो संबंधित पदों के वर्ग में वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) सुसंगत अनुसूची के, ''पद जिससे पदोन्नति की जानी है'' से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा ''पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव'' से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में, यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, स्तम्भ 3 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे इन नियमों के उपबन्धों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार पदोन्नति की जानी हो, नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

स्पष्टीकरण :– यदि किसी वर्ष–विशेष में किसी पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व सीधी भर्ती कर ली गई हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनो रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पांच भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु –

(i) दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझे जायेंगे जब तक कि उनकी संतानों की संख्या में, जो 01 जून 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है ;

(ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है

वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा ;

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिये चयन वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि वह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष–विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम पद (पदों) पर वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या–सीमा निम्नलिखित होगी :–

(i) रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहां उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र सभी व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार किये जाने की संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार किये जाने की संख्या–सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुन तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किया जायेगा।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिये पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गई सूची उस पद (पदों) के प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर सूची भी तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हों, भरने के लिये ऊपर उप–नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम होंगे। इस प्रकार वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर तैयार की गयी सूची पदों के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जायेगा, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती

वर्ष में हो और ऐसी सूची ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक प्रवृत्त रहेगी जिसके लिये समिति की बैठक की जाये।

(10) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

स्पष्टीकरण :– योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की जाये, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख ''उत्कृष्ट'' या ''बहुत अच्छा'' न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष का, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों में विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नति उस वर्ष–विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिये लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतम पद पर पदोन्नति के लिये गिना जायेगा। इस प्राकर पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निर्धारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता, किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण

का निर्णय/निर्देश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिये आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और (जहां आयोग सहबद्व हो) आयोग की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक हो, वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोन कर सकेगा और जहां नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ कोई प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप–नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अन्तिम तौर पर संव्यवहार करने के लिये अनुदेश

जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरूद्व विभागीय कार्रवाई चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जाये जिसके लिये वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या जांच या कार्रवाई के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

31. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बन्धन.– यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए जिनके लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर, दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता–एवं–पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग–6

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

32. सेवा में नियुक्ति.– सेवा में के पद (पदों) पर नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियाँ होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से योग्यता के क्रम में और नियम 30 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

33. अर्जेन्ट स्थायी नियुक्ति.– (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन या तो सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत से नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिये पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबन्धित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिये, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्देशित किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी :

परन्तु यह और कि सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अधीनस्थ सेवा के मामले में सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिये पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिये पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निर्दिष्ट करे, अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिये सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन यथा–अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

34. वरिष्ठता.– सेवा मे के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु –

(i) किसी प्रवर्ग–विशेष में के पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कालावधि बढ़ायी गयी हो तो उस बढ़ायी हुई कालावधि के भीतर सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियम 26 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं ;

(ii) यदि एक ही वर्ष के दौरान सेवा में दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किये गये हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा ;

(iii) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित तथा नियुक्त किये गये हैं ; और

(iv) एक ही चयन में वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनकी ठीक नीचे के ग्रेड में है।

35. परिवीक्षा की कालावधि.– (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

36. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.– (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में के किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर

नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष के परिवीक्षाकाल की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में सेवा में एक वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर छह माह की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा, यदि :–

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप–नियम में उल्लिखित शर्तो को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उप–नियम (1) मे उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटा दिये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिये वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवाकाल के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है :–

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारंभिक गठन के समय की गयी नियुक्ति;

(ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हों तो आयोग के परामर्श से भर्ती ;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों;

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगेः

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

37. परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.– यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप में चयन किया गया था या अन्य मामलों में उसे सेवान्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के समुचित अवसर प्रदान करेगा।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकरी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अनधिक हो सकेगी।

38. स्थायीकरण.– नियम 35 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गये किसी व्यक्ति को उसके परिवीक्षकाल की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो जैसा कि सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग–7

वेतन

39. वेतनमान– सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का चालू वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाये परन्तु परिवीक्षाकाल के दौरान अनुज्ञेय नियत पारिश्रमिक/वेतन नियम 40 के निर्दिष्टानुसार होगा।

40. परिवीक्षा के दौरान वेतन .– सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये :

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को, परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान चालू वेतन बैंड में उसका स्वयं का ग्रेड वेतन या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभकारी हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

41. वेतन, छुट्टी, भत्ते, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.– इन नियमों में यथा–उपबंधित के सिवाय सेवा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :–

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथासंशोधित ;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय–समय पर यथासंशोधित ;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय–समय पर यथासंशोधित ;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय–समय पर यथासंशोधित ;

(v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय–समय पर यथासंशोधित ;

(vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 समय–समय पर यथासंशोधित ;

(vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय–समय पर यथासंशोधित ;

(viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय–समय पर यथासंशोधित ;

(ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

42. शंकाओं का निराकरण.– यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

43. निरसन और व्यावृत्तियां.– इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित समस्त नियम और आदेश, जो इन नियमों का प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किये जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

44. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.– अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिये आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति से तथा आयोग के परामर्श से, आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबन्धों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिये आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबन्धों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।

अनुसूची I

राज्य सेवा के पद

क्र. स.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियाँ
		सीधी भर्ती	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निदेशक	100%	—	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की तेल प्रौद्योगिकी या पेट्रोलियम रेजर्वायर अभियांत्रिकी या रसायन अभियांत्रिकी या यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की भू–विज्ञान/भूभौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री (2) केन्द्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में हाइड्रोकार्बन सम्पदा की खोज/विकास में 15 वर्ष का अनुभव।	अधीक्षण पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक (अतिरिक्त निदेशक)	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पद 3 वर्ष का अनुभव	जब तक पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखने वाला अधीक्षण पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक (अतिरिक्त निदेशक) उपलब्ध न हो, सीधी भर्ती द्वारा और उसके पश्चात् वरिष्ठता–एवं –योग्यता के आधार पर 100% पदोन्नति द्वारा।
2.	अधीक्षण पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक (अतिरिक्त निदेशक)	—	100%	—	वरिष्ठ पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक (उप निदेशक)	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	

3.	वरिष्ठ पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक (उप निदेशक)	—	100%	—	पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक (सहायक निदेशक)	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	
4.	पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक (सहायक निदेशक)	100%	—	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातकोत्तर या अप्लाइड भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पेट्रोलियम भूविज्ञान में विशेषज्ञता साथ ही पेट्रोलियम सेक्टर में 3 वर्ष का अनुभव	—	—	
5.	वरिष्ठ पेट्रोलियम अभियन्ता	—	100%	—	सहायक पेट्रोलियम अभियन्ता	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	
6.	सहायक पेट्रोलियम अभियन्ता	100%	—	पेट्रोलियम अभियांत्रिकी / तेल प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य	—	—	

टिप्पण :– किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति अनुपलब्ध होने की दशा में पद को, आयोग के परामर्श से, केन्द्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तकनीकी रूप से अर्हित और अनुभव प्राप्त कार्मिक की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।

अनुसूची II

अधीनस्थ सेवा के पद

क्र.स.	पद का नाम	भर्ती की रीति, प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियाँ
		सीधी भर्ती	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वरिष्ठ खान फोरमैन	—	100%	—	पूर्वेक्षित पर्यवेक्षक	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति अनुपलब्ध होने की दशा में पद को, आयोग के परामर्श से, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, केन्द्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तकनीकी रूप से अर्हित और अनुभव प्राप्त कार्मिक की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।
2.	पूर्वेक्षित पर्यवेक्षक	100%	—	किसी मान्यताप्राप्त पोलीटेक्निक संस्थान से खनन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भूविज्ञान के साथ बी.एससी.	—	—	
3.	वरिष्ठ नक्शानवीस	—	100%	—	कनिष्ठ नक्शानवीस	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	
4.	कनिष्ठ नक्शानवीस	100%	—	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी (2) मान्यताप्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समेनशिप (सिविल) व्यवसाय में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र	—	—	

				(3) किसी सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित फर्म में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव			

(संख्या एफ.1(1) कार्मिक/क–2/2012)
राज्यपाल के आदेश द्वारा और नाम से,
दिनेश कुमार यादव,
उप शासन सचिव,
कार्मिक (क–2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।